फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी :– परसराम | विपक्षी :– रा. राज्य जरिये तहसीलदार कानोड़

किस्म मुकदमा – 128 भू.रा.अधि. | पत्रावली संख्या : 52/23

क्रमांक | कार्यवाही विवरण

दिनांक : 11.12.2023

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2 अनुपस्थित है। आवाजें दिलवाई गई। अतः अनुपस्थित रहने पर विपक्षी संख्या 2 के विरूद्व एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाते है। विपक्षी संख्या 1 द्वारा जवाब पेश नही करना चाहा। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रकरण में पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार खसरा संख्या 746 के उतरी दिशा की तरफ, खसरा संख्या 751 के पूर्वी दिशा की तरफ, खसरा संख्या 752 के दक्षिणी दिशा की तरफ विपक्षी संख्या 2 के खातेदारी अधिकार एवं आधिपत्य की कृषि भूमि खसरा संख्या 750 स्थित है जिससे इसकी आड में विपक्षी संख्या 2 बेवजय खसरा संख्या 746, 751, 752 हस्तक्षेप करने पर एवं सीमा संबधि विवाद करने पर आये दिन उतारू होती रहती है तथा खसरा संख्या 746, 751, 752 में बने हुए रास्ते की भूमि में अतिक्रमण कर रास्ते को अवरूद्व करने पर उतारू है जिससे पत्थरगढी किये जाने का निवेदन किया। विपक्षी संख्या 2 द्वारा उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया। प्रार्थनाग्रस्त भूमि प्रार्थी संख्या 1 से 3 की खातेदारी भूमि है। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडोसी हैं। प्रार्थनाग्रस्त भूमि की सीमा को लेकर प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य विवाद बना रहता हैं। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण की भूमि के बीच पक्का पुख्ता सीमांकन नहीं होने से पक्षकारों में आये दिन सीमा को लेकर विवाद बना रहता है। अतः सीमा को लेकर विवाद होने से विवाद समाप्ति के लिए पत्थरगढी किया जाना उचित हैं। प्रकरण में प्रार्थी द्वारा सरकारी रास्ते खसरा संख्या 747 का भी सीमांकन कराये जाने का निवेदन किया है जिसका सीमांकन कराये जाने का प्रार्थीगण को कोई अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण अपनी खातेदारी भूमि का ही सीमांकन कराये जाने का अधिकारी है। अतः प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकारं स्वीकार किया जाता हैं।

–: आदेश :–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू. राजस्व अधिनियम का आंशिक स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पाणुन्दा पटवार हल्का पाणुन्द तहसील कानोड की खाता संख्या नया 261 की खसरा संख्या 746 की उतरी सीमा, 751 की पूर्वी सीमा, 752 की दक्षिणी सीमा की पत्थरगढी कर सीमाकंन कराया जावें। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को नियुक्त किया जाकर आदेशित किया जाता है कि सभी पक्षकारान की उपस्थिति में पत्थरगढी कराई जाकर पालना प्रस्तुत करे। पत्थरगढी हेतु तहसीलदार कानोड को एक दिन का वेतन प्रार्थी द्वारा अदा किया जावें। पालना हेतु तहसीलदार को लिखा जाकर पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Parwat Singh Chundawat
Date: 2024.01.15 16:50:44 IST
Reason: SelfAttested